

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर, श्रृंखला पीठ बिलासपुर एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, एलईडी, कैमरा, माइक तथा अन्य कार्यालयीन सामग्री क्रय हेतु ₹ 135.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 135,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

मद क्रमांक 2

जिला खाद्य कार्यालयों में फोटो कॉपियर मशीन क्रय हेतु ₹ 13.00 लाख तथा डेस्कटॉप, प्रिंटर एवं स्कैनर क्रय हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 213,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

मद क्रमांक 3

जिला खाद्य कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवाये लिये जाने हेतु ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

मद क्रमांक 4

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय में एयर कंडीशनर एवं फोटो कॉपियर मशीन क्रय हेतु ₹ 4.00 लाख तथा डेस्कटॉप, प्रिंटर, यूपीएस एवं स्कैनर क्रय हेतु ₹ 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4408

मद क्रमांक 5

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग महासमुंद, कांकेर, बलौदाबाजार, बालोद एवं बेमेतरा में हल्का वाहन क्रय हेतु ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 6

नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण हेतु ₹ 9000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 90,00,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 1

नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण हेतु ₹ 6840.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 68,40,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 1

नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण हेतु ₹ 2160.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,60,00,000 का प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है।

